

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 11/2024

राज्य सरकार जरिये श्री कविता, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री बलवीर पुत्र श्री साधु सिंह, जाति चमार, निवासी सादुलशहर।  
फर्म/दुकान काली चिकन सेंटर, बस स्टैंड मैन रोड, सादुलशहर।

अप्रार्थी

प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए आवश्यक के तहत जब्तशुदा सामग्री 01 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 6.2 किलोग्राम गैस को राजसात करने बाबत।

उपस्थित : जिला रसद अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि  
अप्रार्थी अनुपस्थित।

दिनांक: 13.12.2024

निर्णय

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि काली चिकन सेंटर, बस स्टैंड मैन रोड, सादुलशहर पर घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरुपयोग किये जाने की शिकातय प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 25.09.2024 को उक्त दुकान पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच आप मौके पर बलवीर पुत्र श्री साधु सिंह, जाति चमार निवासी सादुलशहर उपस्थित मिले तथा स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया। बलवीर पुत्र श्री साधु सिंह, जाति चमार निवासी सादुलशहर की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया कि दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग मिठाई/चाय/नमकीन/भोजन आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान में 01 घरेलू गैस एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 6.2 किलोग्राम गैस पाई गई। मौके पर पाया गया 01 घरेलू गैस सिलेण्डर इण्डेन गैस कम्पनी का है। मौके पर पाया गया 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 6.2 किलोग्राम गैस को वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण/उपयोग सम्बन्धित कोई वैध दस्तावेज बलवीर पुत्र साधु सिंह द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। बलवीर पुत्र श्री साधु सिंह, जाति चमार निवासी सादुलशहर की दुकान पर पाया गया 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 6.2 किलोग्राम गैस को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया एवं श्री पुलकित गोयल पुत्र श्री विजय गोयल जाति अग्रवाल निवासी भगत सिंह कॉलोनी, सादुलशहर, सादुलशहर गैस सर्विस सादुलशहर को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण, मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। उपर्युक्त जांच में यह स्पष्ट है कि बलवीर पुत्र श्री साधु सिंह, जाति चमार निवासी सादुलशहर द्वारा 01 घरेलू गैस एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 6.2 किलोग्राम गैस का अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरुपयोग किया जा रहा था। आप द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का दुरुपयोग कर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग), 4(1)(ग)(2) व 7(1)(ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन



अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)  
श्रीगंगानगर

किया है कि मौके से जब्त 1 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 6.2 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश फरमावें।  
परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी तारीख पेशी पर स्वयं उपस्थित नहीं। अप्रार्थी के नोटिस की तामील स्वयं से होने के उपरांत गत तारीख पेशी 08.11.2024 को उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किए एवं आगामी तारीख पेशी पर जवाब/बहस हेतु अप्रार्थी को पाबन्द किया। अप्रार्थी स्वयं को पाबन्द करने के बावजूद आज दिनांक को उपस्थित नहीं है।

राजकीय पैरोकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि काली चिकन सेंटर, बस स्टेण्ड मैन रोड, सादुलशहर पर घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरुपयोग किये जाने की शिकातय प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 25.09.2024 को उक्त दुकान पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच आप मौके पर बलवीर पुत्र श्री साधु सिंह, जाति चमार निवासी सादुलशहर उपस्थित मिले तथा स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया। बलवीर पुत्र श्री साधु सिंह, जाति चमार निवासी सादुलशहर की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया कि दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग मिठाई/चाय/नमकीन/भोजन आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान में 01 घरेलू गैस एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 6.2 किलोग्राम गैस पाई गई। मौके पर पाया गया 01 घरेलू गैस सिलेण्डर इण्डेन गैस कम्पनी का है। मौके पर पाया गया 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 6.2 किलोग्राम गैस को वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण/उपयोग सम्बन्धित कोई वैध दस्तावेज बलवीर पुत्र साधु सिंह द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। बलवीर पुत्र श्री साधु सिंह, जाति चमार निवासी सादुलशहर की दुकान पर पाया गया 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 6.2 किलोग्राम गैस को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया एवं श्री पुलकित गोयल पुत्र श्री विजय गोयल जाति अग्रवाल निवासी भगत सिंह कॉलोनी, सादुलशहर, सादुलशहर गैस सर्विस सादुलशहर को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण, मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। उपर्युक्त जांच में यह स्पष्ट है कि बलवीर पुत्र श्री साधु सिंह, जाति चमार निवासी सादुलशहर द्वारा 01 घरेलू गैस एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 6.2 किलोग्राम गैस का अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरुपयोग किया जा रहा था। आप द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का दुरुपयोग कर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग), 4(1)(ग)(2) व 7(1)(ग) की स्पष्ट अवहेलना की है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत मौके से जब्त 1 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 6.2 किलोग्राम गैस को राजसात किया जाए।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि काली चिकन सेंटर, बस स्टेण्ड मैन रोड, सादुलशहर पर घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरुपयोग किये जाने की शिकातय प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 25.09.2024 को उक्त दुकान पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच आप मौके पर बलवीर पुत्र श्री साधु सिंह, जाति चमार




(Seal)  
अति० जिला कलेक्टर (प्रशात०)  
श्रीगंगानगर

निवासी सादुलशहर उपस्थित मिले तथा स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया। बलवीर पुत्र श्री साधु सिंह, जाति चमार निवासी सादुलशहर की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया कि दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग मिठाई/चाय/नमकीन/भोजन आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान में 01 घरेलू गैस एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 6.2 किलोग्राम गैस पाई गई। मौके पर पाया गया 01 घरेलू गैस सिलेण्डर इण्डेन गैस कम्पनी का है। मौके पर पाया गया 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 6.2 किलोग्राम गैस को वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण/उपयोग सम्बन्धित कोई वैध दस्तावेज बलवीर पुत्र साधु सिंह द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। बलवीर पुत्र श्री साधु सिंह, जाति चमार निवासी सादुलशहर की दुकान पर पाया गया 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 6.2 किलोग्राम गैस को जरिये फर्द जब्त किया गया एवं श्री पुलकित गोयल पुत्र श्री विजय गोयल जाति अग्रवाल निवासी भगत सिंह कॉलोनी, सादुलशहर, सादुलशहर गैस सर्विस सादुलशहर को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण, मौका व जब्त एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। उपर्युक्त जांच में यह स्पष्ट है कि बलवीर पुत्र श्री साधु सिंह, जाति चमार निवासी सादुलशहर द्वारा 01 घरेलू गैस एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 6.2 किलोग्राम गैस का अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरुपयोग किया जा रहा था। आप द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का दुरुपयोग कर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग), 4(1)(ग)(2) व 7(1)(ग) की स्पष्ट अवहेलना की है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 1 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 6.2 किलोग्राम गैस को राजसात किया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



  
(सीना)  
अति० जिला कलेक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर